फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

भँवरलाल बनाम श्री अशोक (कीरा)

किस्म मुकदमा ......प्रा. पत्र 111-128 ...... नं0 ......154...... सन ......2021......

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
1.11.21	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक ...17.11.21... को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर माण्डल	
17/11/21	पत्रावली केम्प... सेंतोकपुर ...को पेश हुई। आगामी दिनांक......17.12.21..को पेश हो।	
17/12	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर ... पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 29/3/22 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
29/3/22	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है अतः पत्रावली दिनांक 26.5.22 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	अशोक (1) नन्दकिशोर 2 प्रतिवादी सं (3)
26/5/22	पत्रावली पेश हुई- प्रार्थी स्वंय उपस्थित विपक्षी गण 1 से 3 व 5 लगायत 10 स्वयं उपस्थित. विपक्षी गण ने प्रार्थी की आराजियात की पत्थरगढ़ी किये जाने पर सहमति जताई है। तहसीलदार मांडल से पूर्व मे मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय प्रपत्र से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	लक्ष्मणलाल प्रतिवादी सं (5) नि. शांति (6) कल्याण / प्रतिवादी सं (2)

राजस्थान – सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–डॉ पूजा सक्सेना आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या – 154/21 प्रा पत्र
1– श्री भवरलाल S/o श्री हरिया गुर्जर निवासी– स्टेशन नगर माण्डल त–माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

1– श्री अशोक S/o श्री रामा गुर्जर निवासी– स्टेशन नगर माण्डल त–माण्डल (कोरा)
(प्रहस्तांकित प्रा पत्र संलग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक– 26.5.22

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम स्टेशन नगर पटवार हल्का सतोकपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी न 7806, 7807, 7808 कुल किता 03 रकबा 0.6703 हेक्टेयर बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 11.11.21 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम स्टेशन नगर पटवार हल्का सतोकपुरा तहसील माण्डल मे उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी न 7806, 7807, 7808 कुल किता 03 रकबा 0.6703 हेक्टेयर बिस्वा भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक भेजा को 500/– रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नही की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत कर।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा